

नियम 55 : बीजक जारी किए बिना मालों का परिवहन

(1) निम्नलिखित के प्रयोजनों के लिए—

- (क) तरल गैस की प्रदाय, जहां प्रदायकर्ता के कारबार के स्थान से उसको हटाए जाने के समय मात्रा ज्ञात नहीं है,
- (ख) जो कार्य के लिए मालों का परिवहन,
- (ग) प्रदाय से भिन्न कारणों से मालों का परिवहन, या
- (घ) ऐसी अन्य प्रदाय, जो बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाए, के लिए पारेषक परिदान चालान जारी कर सकेगा, जो क्रमबद्ध रूप से संख्यांकित होगा, जिसमें 16 से अधिक एक या बहुल श्रृंखलाओं में परिवहन के लिए मालों को हटाने के समय करेक्टर नहीं होंगे, जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:
 - I. परिदान चालान की तारीख और नंबर;
 - II. पारेषक का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
 - III. पारेषिती का नाम, पता और माल तथा सेवाकर पहचान नंबर या पारेषिती की विशिष्ट पहचान नंबर, यदि रजिस्ट्रीकृत है;
 - IV. नाम पद्धति कूट और मालों के विवरण की सुव्यवस्थित प्रणाली;
 - V. मात्रा (अनंतिम, जहां प्रदाय की जा रही वास्तविक मात्रा ज्ञात नहीं है);
 - VI. कराधेय मूल्य;
 - VII. कर दर और कर रकम—केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर, जहां परिवहन पारेषिती को प्रदाय के लिए है;
 - VIII. अंतःराज्य संचलन की दशा में प्रदाय का स्थान; और
 - IX. हस्ताक्षर।

(2) निम्नलिखित रीति में मालों की प्रदाय की दशा में परिदान चालान को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा, अर्थात् :-

- (क) मूल प्रति को **पारेषिती के लिए मूल** के रूप में चिन्हित किया जाएगा;
- (ख) अनुकृति को **परिवहनकर्ता के लिए** अनुकृति के रूप में चिन्हित किया जाएगा; और
- (ग) तीसरी प्रति को **पारेषणकर्ता के लिए** रूप में चिन्हित किया जाएगा।

(3) जहां मालों का परिवहन बीजक के स्थान पर परिदान चालान पर किया जा रहा है; वहां उसे नियम 138 में विनिर्दिष्ट के अनुसार घोषित किया जाएगा।

(4) जहां परिवहन किए जा रहे मार्ग प्राप्तिकर्ता को प्रदाय के प्रयोजन के लिए हैं, किन्तु प्रदाय के प्रयोजन के लिए मालों को हटाने के समय कर बीजक जारी नहीं किया जा सका है तो प्रदायकर्ता मालों के परिदान के पश्चात् कर बीजक जारी करेगा।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

(5) जहां मालों का परिवहन सेमी नाक्ड डाउन या पूर्णतया नाक्ड डाउन स्थिति ¹[या बैचों अथवा लाटों] में किया जा रहा है—

- (क) प्रदायकर्ता पहले पारेषण को पारेषित करने से पूर्व पूर्ण बीजक जारी करेगा;
 - (ख) प्रदायकर्ता प्रत्येक पश्चातवर्ती पारेषण के लिए बीजक को निर्दिष्ट करते हुए परिदान चालान जारी करेगा;
 - (ग) प्रत्येक पारेषण के साथ तत्स्थानी परिदान चालान की प्रतियों के साथ बीजक की सम्यकता भरी हुई प्रति संलग्न होगी; और
 - (घ) बीजक की मूल प्रति को अंतिम पारेषण के साथ भेजा जाएगा।
-

¹ अधिसूचना क्रमांक 39/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 04.09.2018 द्वारा अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 04.09.2018)।